विषय:- हरियाणा सिविल सचिवालय से क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकों को स्थानान्तरण आधार पर नियुक्ति देने बारे ।

===========

क्या सभी वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव, मुख्य मन्त्री/मन्त्री/राज्य मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव/मुख्य सचिव/समस्त वित्तायुक्त एवं सचिव/आयुक्त एवं सचिव तथा समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक/शाखा प्रभारी उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. स्थानान्तरण आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अन्य शर्तों के ईलावा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के परिपत्र दिनांक 19-8-82 की हिदायतों में निम्न व्यवस्था चली आ रही है:-

(1) स्थानान्तरण आधार पर जिस पद को भरा जाना आवश्यक हो, उस पद को सभी विभागों में परिपत्र द्वारा सरकुलेट (Circulate) किया हो,

(2) ऐसी सलैक्शन (selection.) के लिए किसी भी कर्मचारी को सीधे ही आवेदन पत्र ऐन्टरटैन (entertain) नहीं किया जाना चाहिए बल्कि सम्बन्धित कर्मचारी के विभागाध्यक्ष से प्राप्त होने वाली रिकमैन्डेशनज् पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए ।

3. उक्त हिदायतों की व्यवस्था के बावजूद भी हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत बहुत से लिपिक पिछले कई वर्षों से क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र देते आ रहे थे और इस प्रयोजन हेतु वे अक्सर राजनैतिक दबाव भी डलवाते रहे हैं । उक्त लिपिकों के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानान्तरण उपरान्त सचिवालय में हुई [illegible] रिक्तियों को कई-2 वर्षों तक भरा जाना सम्भव नहीं हो पाता था जिसके कारण सचिवालय के कार्य संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था ।

4. अतः लिपिकों में बढ़ रही उक्त प्रवृति पर अंकुश लगाने तथा सचिवालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु मामला मन्त्री परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था । दिनांक 15-3-2000 को हुई मन्त्री परिषद् की बैठक में विषयांकित मामले बारे निम्न प्रकार से नीति निर्णय लिये गए:-

(1) किसी भी लिपिक का सीधे प्राप्त आवेदन पत्र ऐन्टरटैन (entertain) नहीं किया जाए और यदि किसी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से स्थानान्तरण आधार पर नियुक्ति देने बारे आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उसके पूर्ण औचित्य पर ही मामले का निरीक्षण करके निर्णय लिया जाए ।

(2) किसी भी लिपिक का नाम स्थानान्तरण आधार पर परिविक्षा अवधि (probation period) जोकि दो वर्ष का होता है, के पूरा किये बिना किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय को किसी भी अवस्था में अग्रेषित न किया जाए और कर्मचारी की 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर नाम भेजने बारे विचार किया जाए ।

(3) यदि क्षेत्रीय कार्यालय में पद सामान्य श्रेणी का भरा जाना हो तो सामान्य

जारी पृष्ठ...2/-.

श्रेणी के कर्मचारियों के ही नाम भेजे जाएँ और यदि पद आरक्षित श्रेणी का हो तो आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के नाम भेजे जायें ताकि किसी भी श्रेणी का प्रतिनिधित्व कम या अधिक न हो ।

(4) कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही नियम-7 या नियम-8 के अन्तर्गत न हो ।

(5) ऐसे लिपिक जो क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानान्तरित हो चुके हैं या होंगे उन्हें भविष्य में पुनः सचिवालय कैडर में आने की अनुमति नहीं होगी ।

(6) ऐसे लिपिक जिला कैडर में स्थानान्तरण उपरान्त वहां पर नियमित रूप से कार्यरत समस्त लिपिकों से वरिष्ठता में कनिष्ठ होंगे ।

उनसे अनुरोध है कि मामले में लिया गया नीतिगत निर्णय उनके अधीन कार्यरत समस्त लिपिकों के ध्यान में ला दिया जाए ताकि वे इस निर्णय की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित कर सकें ।

अधीक्षक स्थापना-II,
कृते:-मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव, मुख्य मन्त्री/मन्त्री/राज्य मंत्री/मुख्य संसदीय सचिव, हरियाणा ।
2. निजी सचिव/मुख्य सचिव, हरियाणा ।
3. निजी सचिव/समस्त वित्तायुक्त एवं सचिव/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, हरियाणा सिविल सचिवालय ।
4. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक तथा शाखा प्रभारी, हरियाणा सिविल सचिवालय ।

अशा: क्रमांक 3/5/99-2स्था:II दिनांक, चण्डीगढ़ 31-5-2000.

पृष्ठांकन क्रमांक 3/5/99-2स्था:II दिनांक, चण्डीगढ़ 31-5-2000.

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. सचिव, राज्यपाल, हरियाणा ।
2. स्थानिक आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, अल्प बचतें, हरियाणा ।
4. निदेशक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा ।
5. जांच अधिकारी चौकसी, हरियाणा ।
6. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, सैक्टर-8, चण्डीगढ़ ।

अधीक्षक स्थापना-II,
कृते:-मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।